

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, बेगुसराय/दरभंगा/गया /मुजफ्फरपुर/ मुंगेर /पटना ।  
सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर(रोहतास)/पूर्णियाँ मुख्यालय कटिहार/सहरसा/  
सारण (छपरा)/बेतिया।  
श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद/अररिया-01/अरवल/भभुआ(कैमूर)/भोजपुर(आरा)-01/  
बांका/ मोतिहारी-01/जमुई/खगड़िया/मधुबनी-01/ मधेपुरा/नालन्दा(बिहारशरीफ)-01  
/नवादा/पूर्णियाँ-01/ सीतामढ़ी-01/ समस्तीपुर-01/सीवान-01 ।

पटना, दिनांक- 16-7-18


**विषय:-** मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-उपशीर्ष-0001-शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन(विपत्र कोड-26-2230011030001) के अन्तर्गत **CFMS Software** से निर्गत किये गये **CFMS Order No.- 2745 एवं 2733 both dated- 16-07-18** के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण CFMS Software से निर्गत किये गये **CFMS Order No.- 2745 एवं 2733 both dated- 16-07-18** जो, उपशीर्ष-0001-शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन(विपत्र कोड-26-2230011030001) से संबंधित है, में निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

1. योग वेतन एवं जीवनयापन भत्ता में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. आवंटित राशि से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के वेतन विपत्रों एवं अन्य सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।

5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
6. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से संबंधित है।

  
(गोपाल मीणा)


श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-6/बी3-109/2018 श्र0सं0-

5380

पटना, दिनांक-16-7-18

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/आईटी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।